

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरु
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट) पीबीसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री राहुल सैनी आर.ए.एस.

उनवान

मुनि पूजा माताराम

बनाम

राजस्थान - सरकार

दावा बाबत नाम डुरुस्ती U/S 83 RTA

मुकदमा नम्बर :- 135/2021

निर्णय दिनांक :- 02-12-2021

वादी की ओर से स्वयं की व प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 02-12-21 को श्री राहुल सैनी आर.ए.एस. (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, चूरु के समक्ष अतिन निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

दावा वादी स्वीकार किया जाकर को मुनि रोहीग्राम टाइट की जमाबन्दी में खाता सं. 77 व 290 में अतिन मोहनी पुत्री माताराम के स्वाम पर मुनि पुत्री माताराम दर्ज करने के आदेश दिए जाते हैं। तहसीलदार चूरु उक्त खातों राजस्थान रिकॉर्ड में अमल दर्ज करें। अतिन में नाम डुरुस्ती के संबंध में विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में पूर्ण जिम्मेदारी वादी की होगी

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 02-12-2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

02/12/21

(राहुल सैनी)

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
चूरु

वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी	
	रूपया	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस
4.रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तमील
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस
7. आदेशिका की तामिल		
जोड़		जोड़



नोट नो

1777

2-12-21